बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

दिनांक–03.01.2025 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में रेलवे अधिनियम एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के तहत विभिन्न परियोजनाओं हेतु अर्जनाधीन भूमि के किस्म/प्रकार का वर्गीकरण तथा दर (MVR) के निर्धारण हेतु जिला स्तर पर समिति के गठन हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

---

1. उपस्थिति–पंजी के अनुसार।

2. अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार द्वारा उपस्थित सचिव, पथ निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/क्षेत्रीय पदाधिकारी, एन0एच0ए0आई0, पटना/क्षेत्रीय पदाधिकारी, MoRTH, पटना/मुख्य अभियंता, एन0एच0 तथा रेलवे एवं एन0एच0 के उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि रेलवे एवं एन0एच0 की विभिन्न परियोजनाओं हेतु अर्जित की जा रही भूमि के मूल्य/दर/किस्म इत्यादि के निर्धारण को लेकर हितबद्ध रैयतों द्वारा विरोध किये जाने के मामले अक्सर प्राप्त हो रहे हैं। कतिपय मामलों में सक्षम प्राधिकार द्वारा विनिश्चत दर को रैयतों द्वारा मध्यस्थ–सह–प्रमंडलीय आयुक्त एवं अन्य न्यायालयों में चुनौती दी जा रही है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेलवे की परियोजनाओं हेतु अर्जनाधीन भूमि का वर्तमान स्वरूप अर्थात किस्म/प्रकार का वर्गीकरण तथा मूल्य/दर विनिश्चित करने एवं इससे संबंधित विवादों के निस्तारण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा की गयी।

3. क्षेत्रीय पदाधिकारी, एन0एच0ए0आई0, पटना द्वारा प्रस्तावित समिति में अधियाची विभाग के प्रतिनिधि को सदस्य नहीं बनाये जाने का अनुरोध किया गया।

4. सम्यक् विचारोपरांत अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निम्नांकित निदेश दिये गये :–

(I) रेलवे अधिनियम एवं एन0एच0एक्ट, 1956 के अन्तर्गत अर्जनाधीन भूमि के किस्म/ प्रकार का वर्गीकरण तथा उसका मूल्य/दर विनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाय।

(II) किसी भी परियोजना के लिए अर्जित की जा रही भूमि के लिए प्रारंभिक अधिसूचना की स्वीकृति/प्रकाशन के पूर्व अर्जनाधीन भूमि का राजस्व अभिलेख, भूमि का वर्तमान स्वरूप अर्थात किस्म/प्रकार का वर्गीकरण तथा MVR/दर को अद्यतन करने का निदेश विभागीय पत्रांक–1376/रा0, दिनांक–21.10.2024 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के आलोक में की जाय। इस कार्य में अधियाची विभाग द्वारा भी पूर्ण सहयोग किया जाय।

(III) परियोजनाओं हेतु अर्जनाधीन भूमि का वर्गीकरण/दर निर्धारण की कार्रवाई मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग से निर्गत पत्रांक–5021 दिनांक–18.12.2017 के आधार पर किया जाय।

(IV) MVR को अद्यतन किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार के स्तर से मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के साथ बैठक हेतु प्रस्ताव दिया जाय।

तदनुसार बैठक की कार्रवाई सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक:–14/डी0एल0ए0/एन0एच0/मार्गदर्शन–09/2023–23/रा0, पटना, दिनांक:–09/01/2025

प्रतिलिपि:– 1. अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, डी0–63, प्रथम तल, श्रीकृष्णापुरी पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय पदाधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ग्राम– कमुसा नकटी भवानी मंदिर के निकट,राष्ट्रीय राजमार्ग–98, पोस्ट–जानीपुर, पटना–801105, ईमेल–ropatnamorth@gmail.com

4. महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. महाप्रबंधक, उत्तर–पूर्व रेलवे, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1/25
(कमलेश कुमार सिंह)
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

E:\Pappu\2025\Rashmi ji\Proceeding.docx4